

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 952/भू अ०

दिनांक : 15/12/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-चरकीपहाड़ी, थाना-देवघर, थाना सं०- 220, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मानिकपुर से दर्दमारा भाया केनमनकाठी पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- चरकीपहाड़ी, थाना-देवघर, थाना सं०-220, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.75 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	1	102	रैयती	बाड़ी-1	0.04	ज्योतिन हेम्ब्रम पे० लूचा हेम्ब्रम वो जीतन हेम्ब्रम पे० गुड़ड़ा हेम्ब्रम वो सोनेलाल हेम्ब्रम वो सुनिल हेम्ब्रम वो अनिल हेम्ब्रम पे० बासो हेम्ब्रम वो बबलू हेम्ब्रम वो मथुरा हेम्ब्रम पे० अर्जून हेम्ब्रम वो जोवा हेम्ब्रम पे० फूया हेम्ब्रम अंश समान सा० गिधापाथर।	अर्जित दाग का अंश रकवा	मौजा छोटा धोवना नं० -218	मौजा-कुशम हा नं० 222	मौजा लतवेदीय नं० 219
2	2	229	रैयती	मकान	0.02	ठाकुर किस्कू वल्द जितु किस्कू जमाबंदी रैयत।				
3	2	221	रैयती	बाड़ी-2	0.015					
4	2	223	रैयती	बाड़ी-2	0.07					
5	3	101	रैयती	बाड़ी-1	0.02	रामेश्वर हेम्ब्रम वो धुरपा हेम्ब्रम पे० पारेट हेम्ब्रम वो श्री जल हेम्ब्रम वो शिवलाल हेम्ब्रम पे० बदू हेम्ब्रम वो बाबुलाल हेम्ब्रम वो मनोज हेम्ब्रम पे० बुधन हेम्ब्रम वो बिमला दुडू पति छोटका हेम्ब्रम वो जोगेन्द्र हेम्ब्रम पे० मान सिंह हेम्ब्रम अंश समान सा० गिधापाथर।				
6	4	107	रैयती	धानी-3	0.01	जीतु बेसरा पे० सोमर बेसरा वो यदु बेसरा पे० भुटा बेसरा वो दिनेश बेसरा वो संजय बेसरा वो अन्दु बेसरा पे० भोला बेसरा अंश समान सा० देह।				
7	4	100	रैयती	बाड़ी-1	0.015					
8	4	99	रैयती	मकान	0.01					
9	4	100	रैयती	बाड़ी-1	0.005					
10	4	105	रैयती	बाड़ी-1	0.02					
11	4	108	रैयती	धानी-3	0.02					
12	4	217	रैयती	धानी-3	0.04					
13	4	219	रैयती	बाड़ी-2	0.09					
14	5	93	रैयती	बाड़ी-1	0.01	जितु बेसरा पे० सोमर बेसरा वो यदु बेसरा पे० भुटा बेसरा वो दिनेश बेसरा वो संजय बेसरा वो अन्दु बेसरा पे० भोला बेसरा अंश समान सा० देह।				
15	5	94	रैयती	मकान	0.01	देवान मुर्मू वो सोमरा मुर्मू पे० रामु मुर्मू अंश समान सा० देह।				
16	6	86	रैयती	धानी-3	0.005					
17	6	87	रैयती	मकान	0.005					




18	9	28	रैयती	बाड़ी-2	0.20	जगदीश चौधरी वो बिमल चौधरी पे० अमीन पासी वो हुबी पासी वो बंशराज चौधरी वो शंकर चौधरी वो भीम चौधरी पे० लालो पासी अंश समान सा० गिधापाथर।				
19	9	31	रैयती	बाड़ी-2	0.03					
20	10	104	रैयती	बाड़ी-1	0.005	बाबुराम मुर्मू वो किशोर मुर्मू वो हेरोलाल मुर्मू पे० जीवन मुर्मू वो रामु मुर्मू वो सोनेलाल मुर्मू पे० मटरू मुर्मू वो जीतु मुर्मू वो कार्तिक मुर्मू वो गणेश मुर्मू पे० रामलाल मुर्मू वो गोपाल मुर्मू पे० नुनवा मुर्मू अंश समान सा० देह।				
21	10	103	रैयती	मकान	0.01					
22	10	104	रैयती	बाड़ी-1	0.035					
23	11	98	रैयती	बाड़ी-1	0.02	भैरो सोरेन वल्द पांडू सोरेन जमाबंदी रैयत।				
24	12	90	रैयती	बाड़ी-1	0.01	मदन मुर्मू पे० नुना मुर्मू वो थोथा मुर्मू पे० जल्फा मुर्मू वो सोमलाल सोरेन वो रागा सोरेन वो छोटेलाल सोरेन माता मकु मुर्मू वो सुकलाल मुर्मू पे० जेठा मुर्मू वो पार्वती मुर्मू वो नुनी मुर्मू पे० बवुआ मुर्मू वो मंटू हेम्ब्रम वो संटू हेम्ब्रम माता सरीता मुर्मू अंश समान सा० देह।				
25	12	89	रैयती	मकान	0.005					
26	12	90	रैयती	बाड़ी-1	0.01					
27	13	95	रैयती	मकान मेसहन	0.01	सोम मराण्डी पे० छोटेलाल मराण्डी वो श्री मुंशी मराण्डी पे० गणेश मराण्डी अंश समान सा० देह।				
28	13	96	रैयती	बाड़ी-1	0.01					
कुल रकवा-					0.75					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
15/12/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 952/ भू अ0, देवघर, दिनांक 15/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
15/12/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।